न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
होण्डा साईन मोटर साईकिल।

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या–**386/2020–21,**
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त होण्डा साईन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन NA चेचिस नं0 ME4JC739HKO012437 ईंजन नं0– JC73ED0030578 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 4521/हि०शा०, दिनांक 27.11.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव सलखुआ (बनमा ईटहरी ओ0पी0) थाना कांड संख्या–242/2019 में जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त होण्डा साईन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन NA चेचिस नं0 ME4JC739HKO012437 ईंजन नं0– JC73ED0030578 के अधिहरण से संबंधित है। सलखुआ (बनमा ईटहरी ओ0पी0) थाना कांड संख्या–242/2019, घटना का स्थान– पहलाम चौक से उत्तर सड़क, धटना की तिथि– 28.10.2019 के संबंध में पुलिस द्वारा प्रतिवेदित घटना की संक्षिप्त विवरणी यह है कि– घटना की रात्रि दिनांक–28.10.2019 को 00:30 बजे बनमा ईटहरी ओ0पी0 के पुलिस गश्ती के दौरान पहलाम चौक से उत्तर इसलामियाँ चौक के पास पहुँचा तो दक्षिण दिशा से एक बिना रजि0 के होण्डा साईन मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्ति तेजी से जा रहा था। जो पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा और पक्की सड़क पर गिर गया। जिससे मोटर साईकिल पर ले जा रहे विदेशी शराब का दो बोतल रॉयल स्टेग विहस्की प्रत्येक 375 एम0एल0 का हरियाणा निर्मित बच गया शेष कुछ बोतल फुट गया। कारोबरी मोटर साईकिल तथा बोतल छोड़कर अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहा। वहाँ पर आये दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा बनमा ईटहरी ओ0पी0 लाया	

गया तथा कांड अंकित किया गया। जप्त दोनो बोतल को दिनांक–19.11.19 को जाँच हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक कुम्हरार बिहार पटना में जमा कर दिया गया है।''

प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त होण्डा साईन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन NA चेचिस नं0 ME4JC739HKO012437 ईंजन नं0– JC73ED0030578 के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त होण्डा साईन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन NA चेचिस नं0 ME4JC739HKO012437 ईंजन नं0– JC73ED0030578 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक किरण कुमारी, पिता– अर्जुन यादव, साकिन–सोहा, थाना–सोनवर्षा राज, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

उनका कहना है कि यह मामला अज्ञात मोटरसाईकिल चालक के विरूद्ध दर्ज करवाया गया है। घटना का क्रम इस प्रकार है कि इनके मोटरसाईकिल को एक निकटवर्ती संबंधी द्वारा मांगकर ले जाया गया था। जिस पर आरोप है कि वह पुलिस गाड़ी को देखकर रास्ते में गाड़ी छोड़कर भाग गया। जिस कारण पुलिस को आशंका हुई और डिक्की खोलने पर शराब मिला।

आगे कहना है कि इनके जानकारी अथवा स्वत्व एवं दखल से किसी प्रकार का अवैध उत्पाद वस्तु बरामद नहीं हुआ है। इनके ऊपर लगाया गया आरोप गलत है। वाहन मालिक के ओर से मुख्यतः उक्त तथ्यों के आलोक में जप्त वाहन को अपने पक्ष में मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त होण्डा साईन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन NA चेचिस नं0 ME4JC739HKO012437 ईंजन नं0– JC73ED0030578 को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूंकि जप्त वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। अतः उक्त वाहन को अधिहरण करना विधिसम्मत्

	प्रतीत होता है। वाहन मालिक द्वारा उक्त जप्त वाहन को प्राथमिकी अभियुक्त को किसी कार्यवश देने हेतु कोई लिखित जिम्मेनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त वाहन को अधिहरण करना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त के आलोक में उक्त जप्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें। इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धिकृत। 26/12/2020 समाहर्त्ता सहरसा। 26/12/2020 समाहर्त्ता सहरसा।	

ज्ञापांक 119........./न्याया०, सहरसा, दिनांक 28.01.21.........

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

28.01.21
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
28.01.21.